International Journal of Sanskrit Research 2015; 1(3): 51-52

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2015; 1(3): 51-52
© 2015 IJSR
www.sanskritjournal.com
Received: 17-01-2015
Accepted: 20-02-2015

Dr. Pragya Aggarwal
Associate Professor,
Hindu College of Education
Sonipat, Haryana,
India.

Correspondence
Dr. Pragya Aggarwal
Associate Professor,
Hindu College of Education
Sonipat, Haryana,
India.

बाल विकास का शैक्षणिक महत्व

Dr. Pragya Aggarwal

प्रस्तावना

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अनमोल धरोहर होते हैं। ये भावी पीढ़ी या समाज के निर्माता होते हैं। बच्चों पर ही राष्ट्र या विश्व की सभ्यता एवं संस्कृति का भविष्य आधारित है। समाज तथा देश अपने बच्चों का जिस प्रकार-पोषण करेगा, संस्कार देगा, वे बच्चे देश तथा समाज को उसका उसी के अनुसार प्रतिफल प्रदान करेंगे।

यह बड़ी विडंबना है, कि जिस आयु में बच्चों को स्कूल की बेंच पर बैठकर अपना पाठ याद करना चाहिए तथा एक आदर्श नागरिक बनने के लिए सुसंस्कार ग्रहण करने चाहिए, उसी आयु में वे बच्चे होटलों के मेजों की गन्दगी साफ करते हैं, गंदे बर्तनों को धोते हैं, उद्योगों के दूषित वायुमंडल में खतरनाक रसायनों से जूझते हैं। इस प्रकार के वातावरण में देश के इन नैनिहालों के कोमल मन पर पड़ने वाले संस्कारों तथा शिक्षा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

यूनिसेफ द्वारा सन 2005 में जारी की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व भर में 24.6 करोड़ बच्चे किसी न किसी प्रकार श्रमिक के रूप में कार्य करने को मजबूर है। इनमे से 15.2 करोड़ बाल श्रमिक अकेले एशिया में, 7.6 करोड़ बाल श्रमिक अफ्रीका में, तथा शेष 1.8 करोड़ बाल श्रमिक लैटिन अमेरिका देशों में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बनने वाले कालीनों का 80 प्रतिशत 15 वर्ष से काम आयु के बच्चे बनाते है। इंडोनेशिया के बहुत सारे बच्चे तम्बाकू बीनते हैं। श्रीलंका के चाय की पत्ती और ब्राजील के अनेक बच्चे संतरे बीनकर अपनी जीविका चलाने की मजबूर हैं। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बच्चे टी-शर्ट बनाने के उद्योग में, थाईलैंड में बैग बनाने में मोरक्कों में चमड़ा साफ करने के धंधे में, मिश्र में चमेली बीनने में लगे हुए हैं। अकेले दिल्ली में ही लगभग 4 लाख की संख्या में बाल मजदूर हैं। ये बाल श्रमिक बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन 15-15 घंटे कार्य कर रहे हैं, जबकि वयस्कों की तुलना में मजदूरी इन्हे आधी ही मिलती है।

"नन्हे-मुन्ने बच्चे देरी मुठ्ठी में क्या है, मुठ्ठी में है, तक़दीर हमारी "- ये पंक्तियाँ हमारे देश के उन लाखों, करोड़ों बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिनकी तकदीरें पैदा होने से पहले या बाद में चंद रुपयों की खातिर दूसरों के हाथों में गिरवी रख दी जाती हैं और उनकी तक़दीर में रह जाती है, तो बस जिंदगी भर की गुलामी…….।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू ने एक बार कहा था कि "मैं देश के हर बच्चे की आँख में आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर देखता हूँ"। पं0 नेहरू जी की यह पंक्तियाँ अब भी वही महत्व रखती हैं, जो तब रखती थीं। लेकिन तस्वीर से धुंधलका अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी जब सुबह-सुबह आधे बच्चे भविष्य की तलाश में स्कूल जा रहे होते हैं, उसी समय आधे बच्चे अपना व अपने परिवार की पेट की अग्नि शांत करने के लिए कहीं बीड़ी बनाने और कूड़ा बीनने में जुटे रहते हैं, तो कहीं 1400 डिग्री तक के तापमान में जलने को मजबूर होते हैं।

तमिलनाडु के कुछ जिलों में पटाखों और माचिस की इकाइयों में 45,000 बच्चे कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के फीरोजाबाद के कांच के कारखानों में लगभग 46,000 बच्चे और गलीचे के कारखानों में 1 लाख बच्चे काम करते हैं। मिजोरम में पत्थर की खदानों में काम करने वाले 7,000 से अधिक बच्चे पाये गए हैं। वाराणसी में 5,000 बच्चे रेशम बुनने के उद्म में कार्यरत हैं। दिल्ली में 60,000 बच्ची दो या तीन रूपये प्रतिदिन की मजदूरी पर ढाबों, चाय के स्टालों में काम कर रहे हैं। असम के चाय बागानों में तो 12 वर्ष से काम उम्र के कई बच्चे काम में लगे हुए हैं।

इन कारखानों में काम करने वाले बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाएं अत्यंत दयनीय हैं। ये जीवित कंकाल नजर आते हैं, शरीर में त्वचा सम्बन्धी गंभीर रोग होते हैं। इनमे फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियां सामान्यतः दिखायी पड़ती हैं।

भारतीय सविधान में बचपन को बचाने तथा उसके कल्याण के लिए निम्न प्रावधान दिए गए हैं-

1. अनुच्छेद 15 (3) के द्वारा सरकार को बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है।

2. अनुच्छेद 23 के द्वारा बालों को क्रय-विक्रय एवं उनके द्वारा गैर-क़ानूनी तथा अनैतिक कार्य कराने पर रोक है। साथ ही बालकों दिखाकर कार्य कराने पर भी रोक है।
3. अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से काम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगी हुयी है।
4. अनुच्छेद 39 (एफ) के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त निर्देश है।
5. अनुच्छेद 39 (ई) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश है, कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाये जो उनके उम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं।

इसके अलावा सन् 1987 में राष्ट्रीय बल नीति की भी घोषणा की गयी और इसके क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कदम भी उठाये गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया- "राष्ट्रीय चार्टर 2003" भी बच्चों को संविधान के अंतर्गत पहले से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास राज्य सरकार को बच्चों की समुचित देखभाल करने की दिशा में पर्याप्त मार्गदर्शन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए संसद द्वारा "बाल न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम 2000" भी संसद द्वारा पारित किया गया है। ये कानून तब तक बचपन को बचाने के लिए निरर्थक साबित होते रहेंगे, जब तक कि सभी नागरिक बच्चों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं, जैसा आज हम इन्हें देंगे वैसा ही कल हमें देखने को मिलेगा। रस्किन की ये पंक्तियाँ इसी बात का समर्थन करती हैं, कि "बच्चों को जरा प्यार दो तो बहुत सा लौट कर आता है।"

अतः बच्चों को काम पर लगाना न तो भविष्य में परिवार के हित में होता है, न समाज के हित में। ऐसा करके हम भगवान के सबसे कीमती तोहफे को खिलने से पहले ही नष्ट कर देते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ0 महाजन धर्मवीर, डॉ0 महाजन कमलेश : भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ
2. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ
3. मदन, जी0आर0 : भारतीय सामाजिक समस्याएँ
4. सिंह, वी0एन0 : भारतीय सामाजिक चिन्तन
5. पत्रिका : कुरुक्षेत्र 2004